अध्याय-VI
सामान्य

6.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोकसभा सचिवालय ने अप्रैल 1982 में सभी मंत्रालयों को यह अनुदेश जारी किया कि वे वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सदन के पटल पर प्रस्तुत किये जाते ही उसमें समाविष्ट विविध अनुच्छेदों पर की गई उपचारी/संशोधक कार्रवाई दर्शानेवाली टिप्पणी प्रस्तुत करें।

22 अप्रैल 1997 को संसद में प्रस्तुत अपने नौवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में लोक लेखा समिति (लो ले स) ने इच्छा व्यक्त की थी कि मार्च 1994 तथा 1995 की वर्ष–समाप्ति की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित लम्बित की गई कार्रवाई की टिप्पणियों (की का टि) के प्रस्तुतीकरण को तीन माह की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाना चाहिए तथा मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से संबंधित सभी अनुच्छेदों पर की का टि का लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत पुनरीक्षण कराकर संसद में प्रतिवेदनों के पेश होने के चार माह के अन्दर प्रस्तुतीकरण की अनुशंसा की थी।

इसके अतिरिक्त समिति ने 29 अप्रैल 2010 को संसद को प्रस्तुत अपनी ग्यारहवी रिपोर्ट (पंद्रहवी लोकसभा) में अनुशंसा की है कि उपचारी कार्रवाई करने तथा लो ले स को की का टि प्रस्तुत करने में असामान्य विलम्ब के सभी मामलों में मुख्य लेखांकन प्राधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए ।

वर्ष 2011-12 तक की अवधि तक संघ सरकार (सिविल) की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल अनुच्छेदों पर की का टि की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा में यह प्रकट हुआ कि सितम्बर 2013 तक संचार मंत्रालय व सूचना प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत तीन विभाग अर्थात् डा वि, दू वि तथा डी ई आई टी वाई से संबंधित 13 अनुच्छेदों में की का टि पत्राचाराधीन थी जैसा कि ***परिशिष्ट–II*** में वर्णित है।

नई दिल्ली
दिनांक : 30 जून 2014

(आर बी सिन्हा)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(डाक व दूरसंचार)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 2 जुलाई 2014

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक